

ORDER SHEET 791-2016Rct

THECOURT-----

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
19-01-17	<p>राज्य द्वारा एडीपीओउप0 आरोपीगण सहित अधि0श्री राजीव शुक्ला उप0 प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत है। आज दिनांक को फरियादी मनोज शर्मा उप0 इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है आज दिनांक को फरियादी मनोज शर्मा उप0 है उनके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु श्री पंकज शर्मा जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय मे भेजा जाता है। इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे।</p> <p>उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता हैकि प्रशिक्षित मीडिएटर श्री पंकज शर्मा जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय में उप0हो। प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।</p> <p>जे0एम0एफ0सी0</p> <p>पुनश्च—</p> <p>पक्षकार पूर्ववत मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त जिसे अभिलेख के साथ संलग्न किया गया।</p> <p>इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा द0प्र0स0की धारा 320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया। फरियादी की पहचान अधि0श्री हरीशंकर शुक्ला द्वारा की गई है।</p>	

	<p>राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी ग्याप्रसाद एवं नंदकिशोर के विरुद्ध भादस की धारा 294,323 एवं 506/34 के अंतर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त धाराये न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी मनोज शर्मा ने आरोपीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतःवाद विचार राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी ग्याप्रसाद एवं नंदकिशोर को भादस की धारा 294,323 एवं 506/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत मुचलके भारहीन किये गये।</p> <p>प्रकरण मे जप्तशुदा बबूल की लाठी मूल्यहीन होने से तोड़ तोड़ कर नष्ट की जाये।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही /— प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद</p>	